भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2410
उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

कयर बोर्ड के कर्मचारी की मृत्यु

†2410. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
श्री हेबी ईडनः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को फरवरी, 2025 में कयर बोर्ड के एक कर्मचारी की कार्यस्थल पर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के कारण हुई मृत्यु की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा बोर्ड के उन वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच शुरू की गई है और कार्रवाई की गई है जिन्होंने मृत कर्मचारी को प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों और शोरूम के स्थानांतरण के लिए लागत अनुमानों को बढ़ाने और प्रभारी सचिव के पदनाम को बदलकर सचिव करने के लिए बाध्य किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कर्मचारी को गृहनगर कोच्चि से राजामुन्दरी, आन्ध्र प्रदेश स्थानांतरित करने का आदेश जारी किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसा स्थानांतरण आदेश सेवा नियमों का उल्लंघन था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रबंधन द्वारा कैंसर पीड़ित एक कर्मचारी के साथ व्यवहार करते समय संवेदनशीलता की कमी दिखाए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या उक्त कर्मचारी द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी और यदि हां, तो उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (च): मंत्रालय को जानकारी मिली है कि कयर बोर्ड की कर्मचारी श्रीमती जॉली मधु की 10 फरवरी, 2025 को कोच्चि के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मंत्रालय को कयर बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उनके कथित उत्पीड़न के साथ-साथ कयर बोर्ड के अधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बारे में भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

मामले की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक स्वतंत्र समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, एक वरिष्ठ वित्त अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को कयर बोर्ड में वित्तीय प्रबंधन की गहन समीक्षा करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है। दोनों स्वतंत्र समितियों द्वारा जांच जारी है।

****